Volume 1; Issue 1
January to March 2025

E-ISSN: 3049-1134

# International Journal of Political Studies

Peer Review Indexed Refereed Journal

Quarterly International Research Journal

**International Journal of Political Studies**
**E-ISSN: 3049-1134**
**https://www.polsci.in**
**Volume 1; Issue 1; January to March 2025; Page No. 1-12**
**Peer Review, Indexed and Refereed Journal**

# भारतीय संविधान एवं कानून: राष्ट्रीय एकीकरण के लिए वरदान

**डॉ धीरेन्द्र कुमार सिंह**
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
एम. जी. एम. कॉलेज, सम्भल

**सारांश**

*संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इसमें हिंदुस्तान के सभी वर्गों की आवाज एवं न्याय की परंपरा संरक्षित है। संविधान की सफलता का रहस्य मुख्यतः इस तथ्य में निहित है कि इसकी रचना स्वयं भारत के लोगों ने की थी और यह रचना प्रक्रिया स्वयं में एक विलक्षण चीज थी। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसे संविधान की रचना की थी जो राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। हालांकि भारतीय संविधान बहुत सीमा तक आयातित दिखाई पड़ता है फिर भी उधार लिए गए प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डालना भी संविधान सभा का ही काम था । किसी संविधान की सक्षमता पर विचार करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसकी कार्य प्रणाली से निर्धारित होता है? संविधान का आकलन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि वह उन परिस्थितियों से निपटने में कितना सक्षम रहा जिन्हें सामने रखकर उसकी रचना की गई थी या कि वह उन संभावित परिस्थितियों का अंदाजा कितना पहले लगा सका जो उसके सामने उत्पन्न होनी थी अथवा उससे शासित होने वाले लोग उसके प्रति निष्ठा कितनी रखते हैं? यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जनता की निष्ठा उसी संविधान के प्रति ज्यादा गहरी होती है, जो उसकी भावनाओं का ख्याल रखता है।*

***मुख्य शब्द: संविधान, कानून, न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण***

संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इसमें हिंदुस्तान के सभी वर्गों की आवाज एवं न्याय की परंपरा संरक्षित है। संविधान की सफलता का रहस्य मुख्यतः इस तथ्य में निहित है कि इसकी रचना स्वयं भारत के लोगों ने की थी और यह रचना प्रक्रिया स्वयं में एक विलक्षण चीज थी। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसे संविधान की रचना की थी जो राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। हालांकि भारतीय संविधान बहुत सीमा तक आयातित दिखाई पड़ता है फिर भी उधार लिए गए प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डालना भी संविधान सभा का ही काम था। इस प्रकार संविधान सभा ने विदेशी धातु को भारतीय सांचे में ढालने का हुनर संभव कर दिखाया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, 141 बैठकों के बाद 2 साल 11 माह और 18 दिनों की गहन विचार विमर्श के उपरांत भारतीय संविधान को तैयार किया, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियों के साथ स्वतंत्र भारत के मूल संविधान को तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार संविधान लागू होने के बाद से हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बन गए हैं। किसी संविधान की सक्षमता पर विचार करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसकी कार्य प्रणाली से निर्धारित होता है? संविधान का आकलन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि वह उन परिस्थितियों से निपटने में कितना सक्षम रहा जिन्हें सामने रखकर उसकी रचना की गई थी या कि वह उन संभावित परिस्थितियों का अंदाजा कितना पहले लगा सका जो उसके सामने उत्पन्न होनी थी अथवा उससे शासित होने वाले लोग उसके प्रति निष्ठा कितनी रखते हैं? यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जनता की निष्ठा उसी संविधान के प्रति ज्यादा गहरी होती है, जो उसकी भावनाओं का ख्याल रखता है। अगर इस प्रतिमान को भारतीय संविधान पर लागू करके देखें तो पाएंगे कि यह संविधान की सक्षमता ही है कि हमारे देश में सत्ता का परिवर्तन जनता की इच्छा अनुसार शांतिपूर्वक होता है, नहीं तो आज भी कई देश हैं जहां सत्ता का हस्तांतरण हिंसात्मक रूप से होता है। आज भी ऐसे अवसर आते रहते हैं जब राज्यों में सरकारों की विफलताओं के कारण वहां आपातकालीन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करनी पड़ती है। ऐसे अवसरों पर संघ को राज्यों का शासन अपने हाथों में लेना पड़ता है लेकिन जैसे ही नए चुनाव या किसी अन्य उपायों के अंतर्गत सामान्य सरकार बहाल होने की स्थिति बनी, तो केंद्रीय सत्ता तुरंत वहां से हट जाती है। इस तरह संविधान पूर्व अपेक्षित स्थितियों पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। संविधान

लागू होने से लेकर आज तक, हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा, संविधान के अनुसार सफलता पूर्वक होती आई है। भारत में संविधान लागू होने से पहले, हमारा देश कई देशी रियासतें में बंटा था। जिनके अपने अलग अलग विधान थे। इस प्रकार ये रियासतें आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे। जिसका फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। लेकिन संविधान लागू होने के साथ ही पूरा देश इसके दायरे में आ गया। इस प्रकार हमारे संविधान ने राष्ट्रीय एकीकरण में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य किया है। हालांकि संविधान लागू के बाद से, अब तक संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें 100 से अधिक संविधान संशोधन, 1951 से लेकर अब तक हो चुके हैं। सिर्फ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित 99वें संविधान संशोधन को असांविधानिक बताया गया। यह बताता है कि देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन के दायरे का किस प्रकार समयानुकूल विस्तार किया गया। यह साबित करता है कि हमारा संविधान जीवंत है। वहीं, इन सात दशकों में केंद्र और राज्यों में सत्ता का 350 से अधिक बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण संविधान के प्रति भरोसे का ही सबूत है। एक सजीव संविधान के दिशा निर्देशानुसार, आगे बढ़ रहा भारतीय गणतंत्र आज सफल संसदीय लोकतंत्र का जश्न मना रहा है। मूल संविधान से लेकर अब तक देश ने लंबी यात्रा तय की है। संविधान संशोधनों के कारण आज संविधान में 12 अनुसूचियों सहित 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कई प्रावधानों के साथ ही, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कई और प्रावधानो को भी संविधान में शामिल किया गया। संविधान के अलग-अलग प्रावधान देश में समय-समय पर चर्चा के विषय बनते रहे हैं, लेकिन 21वीं शादाब्दी में सबसे ज्वलंत मुद्दों में जैसे जम्मू कश्मीर, समान नागरिक संहिता, संघ-राज्यों के मुद्दे, नदी जल बंटवारा, वन नेशन वन इलेक्शन, भाषा, जाति एवं क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। अंबेडकर जी का यह कहना बिल्कुल सही था कि "आजादी मिलने के साथ ही हमारे वे सारे बहाने खत्म हो गए हैं, जिनके तहत हम हर गलती के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा देते थे। अगर इसके बाद कुछ भी गलत होता है तो हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।"

संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का था इसलिए उन्होंने निचले सदनों (लोकसभा एवं विधानसभाओं) में

अप्रत्यक्ष चुनाव की जगह प्रत्यक्ष चुनाव तथा पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था संविधान में की। यह भी तय किया कि प्रतिनिधित्व के मामले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा किसी भी समुदाय को ना तो विशेष रियायत दी जाएगी और ना ही उनके लिए सीट आरक्षित की जाएगी। संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्यों के बीच किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए सातवीं अनुसूची में विषयों को बहुत स्पष्टता से सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा समन्वय का सिद्धांत समवर्ती सूची में अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, फिर भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समवर्ती सूची में संघ को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां भी संघ को प्रदान करके के भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में संविधान द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं, चूंकि भारत के राजनीतिक स्वरूप की विशेषता इसकी एकात्मक संघीय प्रकृति है, जिसे डी डी बसु ने 'चरित्र में परिसंघीय और आत्मा में एकात्मक' के रूप में वर्णित भी किया है। संविधान के अनुच्छेद एक के तहत भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, जहां राज्यों की सीमा क्षेत्र, नाम परिवर्तन का अधिकार संघ को प्राप्त है। अनुच्छेद 245 कानून बनाने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण करता है और संघ व राज्यों द्वारा बनाए गए कानून की प्रायोजकता की सीमा भी निर्धारित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा करता है, फिर भी संसद को 'अवशिष्ट शक्तियों' के तहत उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन नए उभरने वाले विषय हैं जिनके संदर्भ में कानून बनाने की आवश्यकता है। यही परिसंघीय ढांचे को 'विषम परिसंघ' बनता है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी यह पृथ्वी जिन परमाणुओं से मिलकर बनी है, उनमें उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखने वाली शक्ति ना हो तो वह चूर-चूर हो जाएगी और हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों तथा व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधे रखने वाली शक्ति, हमारे संविधान के वे प्रावधान है जो चेतन प्राणियों को एकता के सूत्र में एक-दूसरे से बांधे रखती हैं। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हमें, एक परिवार की तरह एकता के स्रोत में पिरोता है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में माना कि संविधान ने एक ऐसी केंद्र सरकार की संकल्पना की है, जो इस अर्थ में 'उभयचर' है कि वह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संघीय या एकात्मक तल पर कार्य कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट

ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2024 मामले में कहा है कि 'भारतीय परिसंघ को विषय परिसंघ' के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसका झुकाव केंद्र की ओर है जिसका उद्देश्य एक मजबूत केंद्र सरकार का गठन करना है। पर राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। भाषाई मुद्दे और नए राज्यों व क्षेत्रों की रचना करने और संघ में प्रवेश देने जैसे विषयों को राज्य विधायिका को न देकर संसद के हाथों में सौंपना एक तरह से संविधान सभा की दूरदर्शिता को प्रकट करती है। संविधान सभा के इस कदम से पता चलता है कि उसे कई राज्यों के पुनर्गठन और नामांतरण,रियासतों के एकीकरण तथा 1956 में होने वाले देशव्यापी पुनर्गठन वह जम्मू कश्मीर से 370 को हटाकर राष्ट्रीयकरण का पूर्वाभास था।

संविधान को लेकर न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में कार्य करने के साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया की भूमिका और भी अहम हो गई क्योंकि 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं बड़ी तेजी से फैलती हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत अब तो ओपन एआई, चैट जीपीटी का भी प्रवेश हो चुका है, अतः भारत के सामाजिक तानेबाने को बनाए रखने के लिए फेंक न्यूज को रोकना एक और चुनौती है राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष। हमारा संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां भी हैं कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सोशल मीडिया दोनों ही चीज़ें लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं, लेकिन कई बार यह चुनौतियां भी पैदा कर रही हैं, जैसे कि झूठी ख़बरें वगैरह। कई बार इन झूठी खबरों के आधार पर पैदा हुई समस्याओं का निराकरण न्यायालयों के द्वारा भी किया जाता रहा है। हमारे देश में हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर बहुत भरोसा है और जब भी उन्हें लगता है कि उनके किसी भी अधिकार या कर्तव्य को खतरा महसूस हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक उचित हस्तक्षेप कर के उचित मार्गदर्शन किया है।

हम सब कहते हैं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकीर्ण विचार राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक हैं। लेकिन ये क्यों हानिकारक हैं? कुछ लोग कहेंगे कि इससे हिंसा होती है, इससे आपसी वैमनस्य पैदा होता है, समाज टुकड़ों में बांट जाता है इसलिए ये हानिकारक है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है

कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? दूसरा प्रश्न है कि यदि ये इतने बुरे हैं तो इनको आखिर बढ़ावा क्यों दिया जाता है? इनको बढ़ाने से आखिर किसको फायदा होता है? तीसरा यह राष्ट्रीय एकीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

मनुष्यों की ताकत उनके संगठित होने में होती है। मनुष्य जिस आधार पर संगठित हो जाते हैं, वही सबसे शक्तिशाली हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब बड़ी संख्या में मनुष्य एक ही विचार को मानने लगते हैं, तो वहीं विचार शक्तिशाली हो जाता है चाहे वह राष्ट्रवाद हो, जातिवाद हो या क्षेत्रवाद। ये सब इसीलिए संकीर्ण हैं क्योंकि ये समाज के एक छोटे समूह को दूसरे छोटे समूह के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और समाज टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इस तरह राष्ट्र कमजोर हो जाता है क्योंकि मनुष्यों की निष्ठा अपने छोटे जातीय या क्षेत्रीय समूह के प्रति होती है। अगर विश्व को परिपेक्ष्य में रखते हुए देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण भी एक संकीर्ण विचार है, इसके लिए भी खून खराबा होता रहा है अतः हमें अब पूरी मानवता के एकीकरण के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि यही नहीं हमें तो जीव मात्र के लिए संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे लिए राष्ट्रीय एकीकरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा देश के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के आपसी संकीर्ण विचारों को रोका जा सकता है, जो हमें मजबूती प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय एकीकरण को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लाकर, एक तरह से सन 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास कर रही है। हालांकि हमारे देश में प्रथम आम चुनाव 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, लेकिन बाद में कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन, मध्यावधि चुनाव तथा केंद्र सरकारों का कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग होना, एक साथ चुनाव की स्थितियां को बदल दिया, जिसके बाद से साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। चुनाव होते रहने के कारण कहीं न कहीं आचार संहिता लागू रहती है, जिससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है। साथ ही मानव संसाधन को जिस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे उसके काम अतिरिक्त चुनाव के कामों में लगा दिया जाता है। सरकार के अनुसार इसी समस्या को हल करने के लिए एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की तैयारी की जा रही है। यह संविधान संशोधन लाने से पूर्व सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। इस समिति के एक देश एक

चुनाव के प्रस्ताव को 32 दलों ने अपना समर्थन दिया है वहीं 15 दलों ने इसे संघीय व्यवस्था के विपरीत मान कर इसका विरोध किया है। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान के लगभग 18 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने के जहां कई फायदे तथा वहीं कई चुनौतियां भी हैं जैसे चुनाव खर्च कम होगा, समय भी बचेगा अर्थात साल भर चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों को नहीं लगना पड़ेगा, वहीं संघवादी विचार को खतरा, हर 15 साल में नई ईवीएम पर लगभग 10 हजार करोड रुपए खर्च, पर्याप्त सशस्त्र बल और जनशक्ति की आवश्यकता भी पड़ेगी।

एक देश-एक चुनाव का नियम 2034 में लागू होगा। 2029 में इसकी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यह जानकारी एक देश एक चुनाव को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अध्यक्ष व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी है। उच्च स्तरीय समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंप दी है।

'हम भारत के लोग' भारतीय राष्ट्र-राज्य की मूल इकाई हैं। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य और मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का दायित्व न्यायपालिका पर है। राष्ट्र-राज्य के लिए भी संविधान के भाग चार में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जिनके परावर्तन का दायित्व सरकार पर है। कुछ निर्देशक तत्वों पर सरकार सकारात्मक काम किया है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए अपरिहर एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया जा सका। जबकि समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान का एक आदर्श उद्देश्य है, जिसे लागू करने का दायित्व संविधान सभा ने भविष्य की सरकार पर छोड़ा था।

मूल प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का स्वाभाविक सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो सकता? समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। संप्रदाय विशेष के सदस्य संहिता को अपने निजी मजहबी कानून में हस्तक्षेप मानते हैं जबकि कानून निजी नहीं होते हैं बल्कि ये सभी के लिए एक समान होते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान को बहुत सोच समझकर हमारे संविधान निर्माता ने रखा था ताकि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके, फिर भी कुछ के दल वोट बैंक की राजनीति करते हुए, उस समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं जिसे हमारे संविधान निर्माताओं हमारे लिए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक

बताया था। ये दल शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट कर कानून बना दिए। ऐसे दल राष्ट्रीय एकीकरण की तुलना में वोट बैंक को ज्यादा तरजीह देते हैं, वे एक देश में दो तरह के कानून के पक्षधर हैं। एक देश में एक ही विषय पर दो कानूनी विकल्पों का कोई औचित्य नहीं, तब तो भी नहीं जब कानून लिंग आधारित भेदभाव पर आधारित हों। इसलिए ऐसे सभी दलों को राष्ट्रीय एकीकरण की संवैधानिक भावना का सम्मान करना चाहिए है।

उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करना, एक तरह से संविधान के आदर्श को धरातल पर उतारना है, जो एक आधुनिक, प्रगतिशील और समानता आधारिक समाज की ओर ठोस कदम बढ़ाने का संकेत भी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया, बहरीन, तुर्किये और लेबनान जैसे मुस्लिम देशों तक में आधुनिक कानून लागू है, तो फिर भारत में समान नागरिक संहिता के विरोध की आड़ में राजनीतिक मांसाओं को समझा जा सकता है। संविधान में भी स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी से चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों के स्त्री और पुरुषों के लिए आपराधिक कानून भी समान है, इसके बावजूद अगर शादी, तलाक, बच्चे और संपत्ति से संबंधित सिविल मामलों में धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। इस कानून के द्वारा हलाल जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और लड़कियों को समान अधिकार देने संबंधी प्रावधान महिला सशक्तिकरण व समानता की दिशा में निश्चित ही मील का पत्थर बनेंगे। देखने की बात होगी कि उत्तराखंड से प्रेरणा लेकर समान नागरिक संहिता पूरे देश में कब लागू होगा, क्योंकि ऐसा होने पर ही संविधान निर्माताओं द्वारा देखा गया लैंगिक समानता का स्वप्न साकार हो सकेगा। इस प्रकार समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू कर के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को भी दूर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष, बाधा के रूप में राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारा भी एक गंभीर चुनौती है  जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि। इस प्रकार के विवादों के समाधान में केंद्र सरकार को संविधान की ओर से अहम भूमिका सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 में इसी आधार पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति दी गई है अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 तथा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 इसी शक्ति के प्रयोग के परिणाम हैं। जल विवादों के समाधान के संदर्भ में

संविधान के कुछ और प्रावधानों पर गौर करना आवश्यक है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 में राज्य को पेयजल के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। स्वाभाविक रूप से केंद्र के विषय को ही प्राथमिकता मिलती है। केंद्र की ओर से योजना या प्राधिकरण स्थापित कर फसलों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यों के बीच समन्वय की कमी, प्रतिस्पर्धी व क्षेत्रीय राजनीति ने इन समस्याओं को और भी गंभीर कर रही हैं। इस संदर्भ में एक अंतर राज्य जल परिषद का गठन भी तार्किक प्रयास होगा जिसमें इन्ही मुद्दों पर राज्यों के बीच संघ के निर्देशों के अनुरूप सहमति बनाने में सहायता मिल सकेगी।

भारतीय गणराज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। पहले हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द ज्यादा सुनाई पड़ता था लेकिन धीरे-धीरे अन्य भाषाओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया, विशेष कर दक्षिण के राज्यों ने। अब हिंदी को केंद्र व राज्यों के बीच सूचनाओं एवं पत्र व्यवहार की भाषा माना जाता है। संविधान को अंगीकृत करते वक्त सेठ गोविंद दास ने कहा था कि मुझे एक ही बात खटकती है और वह सदा खटकती रहेगी कि इस प्राचीनतम देश का यह संविधान देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विदेशी भाषा में बना है...। हमारी गुलामी की समाप्ति के पश्चात जो संविधान हमने विदेशी भाषा में पास किया है, हमारे लिए सदा कलंक की वस्तु रहेगी। यह गुलामी का धब्बा है, यह गुलामी का चिन्ह है। मूल रूप से अगर संविधान अपनी भाषा में लिखा गया होता, तो उसका भाव दूसरा होता और उसका संदेश भी। तब हिंदी को सही मायने में संवैधानिक दर्जा दिलाया भी जा सकता था। लेकिन जैसे-जैसे इसमें देर हुई वैचारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। वोट बैंक की राजनीति भी बढ़ती गई और जैसे-जैसे राजनीति का लक्ष्य सेवा के बजाय सत्ता साधना होता गया वैसे-वैसे हिंदी ही क्यों, अन्य भाषाओं की राजनीति भी बदलती गई।

वर्तमान समय में हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा का सफर तभी पूरा कर पाएगी, जब अन्य भाषी लोग स्वत हिंदी सीख कर हिंदी को अपनाने लगें, न कि जोर जबरदस्ती से। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आशा जताई थी कि 'यदि तन मन धन से प्रयत्न किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। नेताजी को लगता था कि अगर हिंदी को सहज संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया गया और दिल खोलकर लोग इसे सीखेंगे तो आने वाले दिनों में प्रांतीय वैचारिक खाइयों को बांटने में हिंदी ही मददगार होगी। नेताजी समझते थे कि जिस देश के पास अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती वह खड़ा नहीं रह सकता।' वर्तमान एन डी ए सरकार अपने हिंदी प्रेम के बावजूद अब भी नौकरशाही का मानस विदेशी

भाषा में ही सोचने और उसी भाषा में नीतियां बनाने पर केंद्रित है। पिछले करीब एक दशक में शासन प्रशासन में हिंदी का प्रयोग जरूर बड़ा है लेकिन असलियत में हिंदी अभी भी संविधान निर्माताओं के इच्छानुसार वह स्थान नहीं प्राप्त कर पाई है जिसकी वह हकदार है।

भारत के भू राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 144 में जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करके, सच्चे मायने में लोह पुरुष के उद्देश्य का भारत बनाने का प्रयास किया गया है। सरदार पटेल अपने अदम्य साहस व प्रखर व्यक्तित्व के कारण ही भारत को एक धागे में पिरोने में कामयाब हो सके थे। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने और उसे एक सूत्र में पिरोने में उनके योगदान के लिए 2014 से हर साल उनके जन्मदिन को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से पटेल ने देश की रियासतों को भारत में सम्मिलित कर के एक अखण्ड भारत का निर्माण किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत के विलय में अन्य लोगों के हस्तक्षेप के कारण पटेल इसे पूरी तरह से भारत के अन्य रियासतों की तरह नहीं मिला सके। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक 1947 में तरह-तरह की 550 रियासतें भारत में शामिल हुई लेकिन जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1949 में दिल्ली ने अनुच्छेद 306 ए (अनुच्छेद 370) के माध्यम से इसको राष्ट्रीय मुख्य धारा से दूर कर दिया। मई 1954 में इसने संसद को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35 ए लागू कर दिया। अनुच्छेद 370 लागू होने के चलते जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था, जिसका अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर का संविधान देश के राष्ट्रीय एकीकरण में एक बड़ी बाधा के समान था, क्योंकि यह संविधान जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को अपने स्तर पर कानून बनाने और किसी केंद्रीय कानून के राज्य में क्रियान्वयन को रोकने में समर्थ बनाता था। अलबत्ता 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रस्तुत करके तथा पास करा के जम्मू कश्मीर के अलग निशान, अलग विधान को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि अधिकांश केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में पहले से ही लागू थे, जो नहीं लागू थे वह 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू हो गए, जिनमें मुख्य हैं- राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम, शत्रु संपत्ति अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर रोक संबंधी कानून व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद अनुच्छेद 35 ए पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया, जो कि स्टेट सब्जेक्ट को

अनिवार्य बनाते हुए राज्य विधानसभा को स्थानीय लोगों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार देता था, कोई गैर कश्मीरी नागरिक जम्मू कश्मीर में न राज्य सरकार के अधीन नौकरी कर सकता था और न राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला ले सकता था, यह कानून अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में स्थाई तौर पर बसने और जमीन खरीदने से भी रोकना था। अनुच्छेद 35 ए की वजह से ही जम्मू कश्मीर से बाहर ब्याही गई बेटियों व उनके बच्चों के सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। वह अपने पिता की संपत्ति से भी वंचित हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार अब जम्मू कश्मीर में नया जोश, नया उत्सव और नई व्यवस्था काम कर रही है, जो एक तरह से हमारे संविधान की भावना को सही मायने में धरातल पर उतरने के समान है, क्योंकि अब राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में अनुच्छेद 370 व 35 ए जैसे व्यवधान नहीं होंगे। अब पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी एक विधान, एक संविधान और एक निशान होगा। बेड़ियों में जकड़ा जम्मू कश्मीर सही महीना में अब आजाद हुआ है। वर्षों से भेदभाव, भ्रष्टाचार, अलगावाद, आतंकवाद और परिवारवाद की राजनीति का कारण रहे अनुच्छेद 370 और 35 ए दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के बाद इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। सामरिक महत्व का अति संवेदनशील यह प्रदेश चुनौतियों के पहाड़ पर अब नई इबारत लिख रहा है। देश की लगभग एक फीसद आबादी वाले जम्मू कश्मीर को सभी राज्यों को मिलने वाले कुल केंद्रीय अनुदान का करीब 10 फीसद हिस्सा मिलता रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 व 35 ए को निरस्त करने संबंधी कानून को 23 याचिकाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस ऐतिहासिक मुद्दे की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस डिबाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्य संविधान पीठ ने की, जिसने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध कारक देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, हालांकि कोर्ट ने जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का निर्देश भी केंद्र सरकार को दिया। फैसले के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास ऐसी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो उसे अन्य राज्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों से अलग करती हो। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को पूर्णतया लागू करने के बाद, राज्य का संविधान निष्क्रीय व निरर्थक हो गया। इस प्रकार शीर्ष कोर्ट ने एकता के मूल सार को मजबूत किया है। इस प्रकार कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संवैधानिक एकीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय बताया।

**संदर्भ ग्रन्थ-सूची**

*रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज ऑफ द कांस्टीट्यूएंट असेंबली ऑफ़ इंडिया-* फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज (संसदीय सचिवालय द्वारा प्रकाशित) तिथि 1947 1948 तथा 1950।

*द इंडियन कांस्टीट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ़ द नेशन:* ग्रेनविले ऑस्टिन।

*भारत का संविधान :एक परिचय*: डॉ. दुर्गा दास बसु

समसामयिक पत्रिका एवं दैनिक समाचार।